Audit Report

लेखापरीक्षा सूचना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), उत्तर–प्रदेश, इलाहाबाद

पत्रांक–प्र0म0ले0(सा0एवसा0क्षे0ले0प0)/एन.पी.01/एस.एस.II/07 दिनांक: 10-02-2020

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय डिग्री कालेज, बिलासपुर
रामपुर।

महोदय,

सूचित किया जाता है कि आपके कार्यालय की लेखापरीक्षा दिनांक 21/02/20 से दिनांक 04/03/20 तक किया जाना प्रस्तावित है लेखापरीक्षा दल के सदस्य निम्नवत् है:–

1. श्री आलोक कुमार, व0स0अ0 **(UPALA-3230544)**
2. श्री सुगंध कुमार, स0स0अ0 **(D/400)**
3. श्री नन्द लाल, व0ले0प **(UPALA-3230992)**

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 2(ई) के साथ पठित धारा 18 व लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2007 (www.cag.gov.in) के अध्याय–2 के प्रस्तर–6 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार प्रदत्त है कि वह:

(क) संघ के या किसी राज्य के अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करे;

(ख) यह अपेक्षा करें कि कोई लेखे, खाते, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हो जिन तक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जायें जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे; और

ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछे या ऐसी टीका–टिप्पणी करे जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांगे जिसकी उन्हें किसी ऐसे लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपेक्षा हो, जिसे तैयार करना उनका कर्तव्य है।

ऐसे कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं और जानकारी के लिए किये गये अनुरोधों को यथासंभव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूरा करेगा।

उपरोक्त के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर–प्रदेश शासन, लखनऊ ने पत्रांक वि0 स0 प्र0(सि/२)/दस–10(45)/12 दिनांक 04.05.2012 द्वारा समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को निर्देशित किया है कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 2(ई) के साथ पठित धारा 18 व लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2007 के अध्याय–2 के प्रस्तर–6 में निहित प्राविधान के अनुसार लेखापरीक्षा के समय ही सभी सुविधाएं और जानकारी के लिए लेखापरीक्षा दल द्वारा किये गये अनुरोधों को यथा सम्भव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे। सम्परीक्षा के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण पुनः शासन के संज्ञान में आने पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि विगत निरीक्षण तिथि से लेकर प्रस्तावित लेखापरीक्षा तिथि तक की अवधि के प्रारम्भिक लेखा एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा हेतु तैयार रखें।

<u>कृपया पत्र की पावती सुनिश्चित करें।</u>

भवदीय

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/एस.एस.–II(क0)

पंजीकृत

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट)
उ0प्र0, इलाहाबाद

पत्रांक– एस0एस0–II(i)/ले0प0प्र0सं0/117/2019–20/263
दिनांक– 20-04-2020

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर रामपुर

विषय: नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य अधिकार एवं सेवा शर्ते अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत कराना है प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर रामपुर के माह 01/2010 से 01/2020 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों का ऑडिट दिनांक 29.02.2020 से 04.03.2020 तक सम्पादित किया गया। उक्त इकाई के जाँच से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को इस आशय के साथ आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इसकी अनुपालना आख्या भाग–2(अ) की शासन एवं भाग–2(ब) की उच्चतर अधिकारी के अनुशंसा के साथ प्राप्ति तिथि के एक माह के अंदर कार्यालय को प्रेषित कर देवें।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे ऑडिट आपत्ति से संबधित भाग–2 (अ) के **एक (01)** प्रस्तर भाग 2 (ब) के **तीन (03)** प्रस्तर सम्मिलित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

20/4/20
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
एस0एस0– II/ ई–(i)
20/04/2020

पत्रांक एस0एस0 II(i)/ले0प0प्र0सं0/117/2019–20/264 दिनांक–20-04-2020

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति निदेशक उच्च शिक्षा , उत्तरप्रदेश , प्रयागराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

20/4/20
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
एस0एस0– II/ ई–(i)

20/04/2020

Scanned by CamScanner

लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर रामपुर के माह 01/2010 से 01/2020 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा श्री सुगन्ध कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.02.2020 से 04.03.2020 तक एवं श्री आलोक कुमार, व0स0अ0 दिनांक 29.02.2020 से 04.03.2020 तक के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई।

निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर रामपुर द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। निरीक्षित इकाई द्वारा प्रदत्त गलत सूचना और/अथवा अप्रदत्त सूचना के संबंध में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

भाग–प्रथम 'अ' (परिचयात्मक)

1. कार्यालय प्राचार्य प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर रामपुर की यह प्रथम लेखा परीक्षा है ,वर्तमान लेखा परीक्षा में माह 01/2010 से 01/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. प्रशासनिक विभाग का नाम जिससे इकाई सम्बद्ध है: उच्च शिक्षा
3. इकाई की श्रेणी (सिविल/निर्माण/स्वायत्त निकाय/सा0 क्षेत्र के उपक्रम/आदि): सिविल
4. डी0पी0सी0(एक्ट) की धाराऐं जिसके अन्तर्गत इकाई की लेखापरीक्षा संम्पादित की गयी:
5. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं कार्यकाल:

डॉ0 विजय सिंह राघव	20.09.2009 से 14.07.12
डॉ0 अलवेले सिंह यादव	15.07.12 से 31.07.13
डॉ0 ए0पी0राक्सेना	01.08.13 से 31.03 16
डॉ0 सतीश चन्द्र कुमार	01.04.16 से 10.05.16
डॉ0एम0 ए0 गौरी	26.08.17 से 20.06.19
डॉ0 आई0 बी0 महापात्र	21.06.19 से 03.07.19
डॉ0 आर0 पी0 यादव	04.07.19 से अद्यतन तक

6. विगत लेखापरीक्षा से अब तक आहरण वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी के नाम एवं कार्यकाल:

Scanned by CamScanner

डॉ0 विजय सिंह राघव	20.09.2009 से 14.07.12
डॉ0 अलवेले सिंह यादव	15.07.12 से 31.07.13
डॉ0 ए0पी0सक्सेना	01.08.13 से 31.03 16
डॉ0 सतीश चन्द्र कुमार	01.04.16 से 10.05.16
डॉ0एम0 ए0 गौरी	26.08.17 से 20.06.19
डॉ0 आई0 वी0 महापात्र	21.06.19 से 03.07.19
डॉ0 आर0 पी0 यादव	04.07.19 से अद्यतन तक

7. इकाई की विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि की वित्तीय स्थितिः

आयोजनागत (लाख मे)

कमांक	वर्ष	लेखाशीर्ष	आवंटन	व्यय	आधिक्य/कमी
1	2009-10	2202	2.00	2.00	0.00
2	2010-11	2202	0.00	0.00	0.00
3	2011-12	2202	0.00	0.00	0.00
4	2012-13	2202	0.00	0.00	0.00
5	2013-14	2202	0.00	0.00	0.00
6	2014-15	2202	0.00	0.00	0.00
7	2015-16	2202	0.00	0.00	0.00
8	2016-17	2202	0.00	0.00	0.00
9	2017-18	2202	0.00	0.00	0.00
10	2018-19	2202	0.00	0.00	0.00
11	2019-20 (1/20 तक)	2202	0.00	0.00	0.00

आयोजनेत्तर(रू0 लाख में)

कमांक	वर्ष	लेखाशीर्ष	आवंटन	व्यय	आधिक्य/कमी
1	2009-10	2202	3.35	3.88	-0.53
2	2010-11	2202	10.50	10.50	0.00
3	2011-12	2202	14.00	14.00	0.00
4	2012-13	2202	12.37	12.37	0.00
5	2013-14	2202	7.87	7.67	0.20
6	2014-15	2202	3.51	3.36	0.15
7	2015-16	2202	8.38	8.38	0.00
8	2016-17	2202	12.02	11.97	0.05
9	2017-18	2202	9.80	1.80	8.00
10	2018-19	2202	1.99	1.99	0.00
11	2019-20 (1/20 तक)	2202	4.42	4.42	0.00

स्थापना मद (रू0 लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	लेखाशीर्ष	आवंटन	व्यय	आधिक्य/कमी

Scanned by CamScanner

1	2009-10	2202	69.12	67.50	1.62
2	2010-11	2202	96.83	79.51	17.32
3	2011-12	2202	97.89	97.09	0.80
4	2012-13	2202	100.35	100.30	0.05
5	2013-14	2202	111.30	108.14	3.16
6	2014-15	2202	168.88	108.62	60.26
7	2015-16	2202	173.72	151.32	22.40
8	2016-17	2202	183.95	157.29	26.65
9	2017-18	2202	139.39	139.20	0.19
10	2018-19	2202	175.46	165.38	10.08
11	2019-20 (1/20 तक)	2202	205.40	173.73	31.67

8. . लेखापरीक्षा अवधि मे इकाई मे निम्नानुसार मानवशक्ति उपलब्ध थी:

संवर्ग	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	कमी
प्राचार्य	01	00	01
प्रवक्ता	20	11	09
वरिष्ठ सहायक	01	01	0
कनिष्ठ सहायक	01	01	0
प्रयोगशाला साहयक	05	0	05
प्रयोगशाला परिचर	05	02	03
कार्यालय परिचर	02	0	02
पुस्तकालय परिचर	02	0	02

9. पर्यावरण से संबंधित सूचना निम्नवत् थी।

क्रम सं0	गदों के नाम जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है	वातावरण कितना प्रभावित है। (इकाई / प्रतिशत)	टिप्पणी
1.	वायु	लगू नही है।	
2.	जल		
3.	जमीन		
4.	ध्वनि		
5.	बैटरीज़		
6.	प्लास्टिक		
7.	जैव–चिकित्सा अपशिष्ट		
8.	जोखिम वाले अपशिष्ट (रेडियोधर्मिता – ऐसे चिकित्सालयों में जहाँ कोबाल्ट मशीने प्रयोग मे लायी जाती है।)		
9.	परमाणु चिकित्सा – रेडियोधर्मी		

10. सूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा (आई0 टी0 लेखापरीक्षा)

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	मूल्य	टिप्पणी

Scanned by CamScanner

1	हार्डवेयर	4	--	निदेशालय से प्राप्त है।
2	साफ्टवेयर	शून्य		
3	नेटवर्किंग	शून्य		
4	आई०टी० अनुप्रयोगों	शून्य		
5	आर डी०बी०एम०एस० डाटा बैंक	शून्य		
6	लेखापरीक्षा इकाई में कम्प्यूटरीकरण–विभागों में ई०–निविदा, यातायात गणना	शून्य		

11. केन्द्रीय/केन्द्र पुरोनिधानित /राज्य/वाह्य सहायतित योजना/कार्यक्रम की स्थिति निम्नवत् थी:

योजना का नाम	लेखा शीर्ष	स्वीकृतियाँ	आवंटन	व्यय	कार्यदायी संस्था
शून्य					

12. फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति निम्नवत थी:

योजना का नाम	लेखाशीर्ष	स्वीकृतियाँ	आवंटन	व्यय	कार्यदायी संस्था
	शून्य				

13 निर्गत लेखापरीक्षा ज्ञापों पर इकाई की टिप्पणी की स्थितिः–

लेखापरीक्षा ज्ञाप क्रम संख्या	निर्गत तिथि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणियों की स्थिति		
			क्या समस्त बिन्दुओं पर टिप्पणियां प्राप्त है	यदि अंशिक टिप्पणियां प्राप्त है तो उनका उल्लेख करें	टिप्पणियों के अप्राप्त रहने का कारण
	29.02.20 से 04..03.20	1से 82 तक	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

14 इकाई के साथ प्रारम्भिक बैठक (इंट्री कांफ्रेंस)/समापन गोष्ठी (इक्जिट कांफ्रेंस) किये जाने कीस्थितिः

बैठक	दिनांक	बैठक न होने का कारण
प्रारम्भिक बैठक (इंट्री कांफ्रेंस)	29.02.20	--
समापन गोष्ठी (इक्जिट कांफ्रेंस)	04..03.20	--

Scanned by CamScanner

भाग–2(अ)

प्रस्तर–1 सात वर्षों के अभिलेख सम्प्रेक्षा को उपलब्ध न कराने से धनराशि रू0 774.64 लाख के व्ययों का सत्यापन न होना।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक वि0स0प्र0 (शि0/रे0)/दरा–10(45)/12 दिनांक 04–05–2012 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि वे लेखापरीक्षा के समय सभी सुविधाएं और जानकारी शीघ्रता से उपलब्ध कराएं। उक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदारी माने जायेंगे। सम्परीक्षा के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण पुनः शासन के संज्ञान में आने पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

राजकीय महाविद्यालय बीसलपुर (जिला रामपुर) की लेखापरीक्षा अवधि माह 01/2010 से 01/2020 थी, जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा दल द्वारा अभिलेख एवं सूचनाएं मांगी गई। इकाई द्वारा वर्ष 2016–17 से जनवरी, 2020 तक की सूचनाएं एवं अभिलेख तो प्रस्तुत किए गए परन्तु पूर्व की शेष अवधि के अभिलेखों को नहीं प्रस्तुत किया गया। सम्प्रेक्षा द्वारा वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक की अवधि का बजट विवरण मांगने पर कोषवाणी पर उपलब्ध बजट की प्रति सम्प्रेक्षा को उपलब्ध करायी गयी। बजट के अवलोकन में पाया गया कि सन्दर्भित अवधि में स्थापना पर व्यय धनराशि य0 712.48 लाख तथा अन्य पर व्यय धनराशि रू0 62.16 लाख थी। इस प्रकार कुल व्यय धनराशि रू0 774.64 लाख के सापेक्ष अभिलेख न उपलब्ध होने से व्यय धनराशियों का सत्यापन नहीं हो सका।

Scanned by CamScanner

सम्प्रेक्षा द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराने के बिन्दु पर आपत्ति किए जाने पर बताया गया कि वर्ष 2012 में तत्कालीन वरिष्ठ सहायक स्थानान्तरित हो गए थे तथा उनका चार्ज कनिष्ठ लिपिक को दे दिया गया जबकि वरिष्ठ सहायक महाविद्यालय में तैनात थे। मई 2017 में कनिष्ठ लिपिक के स्थानान्तरित होने पर उनके द्वारा कोई चार्ज वर्तमान में तैनात वरिष्ठ सहायक को नहीं दिया गया जिस कारण सन्दर्भित अवधि के अभिलेख उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं था, महाविद्यालय को लेखापरीक्षा किए जाने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र/सूचना में कार्यालयाध्यक्ष को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के दिनांक 04–05–2012 का निर्देश अंकित था, लेखापरीक्षा के प्रथम दिन एवं बाद के दिवसों में अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं अनुस्मारक निर्गत किया गया परन्तु कार्यालयाध्यक्ष ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। बिना चार्ज दिए ही कर्मचारी को कैसे अवमुक्त कर दिया गया था यदि चार्ज नहीं भी हस्तान्तरित हुआ था तो उपलब्ध अभिलेखों की सूची बनाकर पुनः अभिलेखों को व्यवस्थित किया जा सकता था। अभिलेख महाविद्यालय में ही थे, कर्मचारी अपने साथ नहीं ले गया था। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जानबूझकर अभिलेखों को नहीं उपलब्ध कराया गया।

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने से अभिलेख सम्प्रेक्षा को न उपलब्ध कराने के कारण अवधि 2009–10 से 2015–16 तक में व्यय धनराशि रू0 774.64 लाख के व्ययों का सत्यापन न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Scanned by CamScanner

भाग–2(ब)

प्रस्तर–01 सामान्य भविष्य निधि सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव न किये जाने से कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते से आहरित धनराशि रू0 39.50 लाख का सत्यापन न कराया जाना।

सामान्य भविष्य निधि लेखा अभिलेखों के रख–रखाव के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 4जी–57/10/84/510/84 दिनांक 26–12–1984 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिसमें सामान्य भविष्य निधि लेजर, ब्राडशीट, पासबक, भुगतान पंजिका, इण्डेक्स पंजिका, अग्रिम पंजिका एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्गत की जाने वाली लेखापर्ची एवं उसकी पावती के अभिलेखों का रख–रखाव किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

राजकीय महाविद्यालय, विलासपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि पासबुक की जांच करने पर पाया गया कि सामान्य भविष्य निधि खाते से धनराशि आहरित की गई है, विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	खाता सं0	आदेश सं0/दिनांक	स्थायी/अस्थायी	आहरित धनराशि
1	श्री इन्द्रभूषण महापात्र	एसो0प्रो0	K-Edu/21070	11/2012–13 दि0 21–07–12	स्थायी	150000
2	श्री इन्द्रभूषण महापात्र	एसो0प्रो0	K-Edu/21070	42/2013–14 दि0 21–05–13	स्थायी	200000
3	श्री इन्द्रभूषण महापात्र	एसो0प्रो0	K-Edu/21070	02/2019–20 दि0 18–12–19	स्थायी	3600000
				योग		3950000

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवरण के अनुसार श्री इन्द्रभूषण महापात्र एसो0प्रोफेसर के द्वारा रू0 39,50,000/– की धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते से आहरित की गई है। अग्रेतर जांच में पाया गया कि महाविद्यालय स्तर पर सामान्य भविष्य निधि लेजर, ब्राडशीट, अग्रिम पंजिका, इण्डेक्स पंजिका, भुगतान पंजिका इत्यादि अभिलेखों का रख–रखाव नही किया जा रहा है जिससे उक्त आहरित धनराशियों का सत्यापन मिलान नहीं कराया जा सका था। श्री इन्द्रभूषण महापात्र के सामान्य भविष्य निधि पासबुक की वर्ष 2005–06 से अब तक वार्षिक लेखाबन्दी के कालम में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई है जिससे यह मालूम कर पाना संभव नहीं था कि उक्त के खाते में कितनी धनराशि जमा थी तथा आहरण के बाद कितनी अवशेष है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अनुपालन हेतु नोट किया। सा0भ0नि0 से सम्बन्धित समस्त अभिलेखें का रख–रखव भविष्य में किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासनादेशों के अनुपालन में सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव महाविद्यालय स्तर पर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया जा रहा था। जिससे आहरित धनराशियों का सत्यापन नहीं किया जा सका था।

अतः प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

Scanned by CamScanner

भाग–दो(ब)

प्रस्तर–2 विगत कई वर्षो से संम्बधित विषयो के प्रवक्ताओ के पद रिक्त रहने के कारण छात्र/छात्राओ को समुचित शिक्षा से वंचित किया जाना।

नियमानुसार किसी भी संस्था में स्वीकृत पदो के सापेक्ष ही नियुक्ति होनी चाहिए ताकि छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन में किसी भी प्रकार नियुक्ति की कमी के कारण शैक्षणिक कार्य/गुणवत्ता प्रभावित न हो।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर,रामपुर के लेखाभिलेखों की जॉच में पाया गया कि महाविद्यालय में शिक्षक श्रेणी के स्वीकृत पदो के सापेक्ष अधिकांश पद रिक्त थे तथा स्नातक/स्नातकोत्तर की कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण निम्नवत थाः–

क्र0 सं0	विभाग का नाम/प्रवक्ता	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या (16–17)	कुल कार्यरत पद संख्या (17–18)	कुल कार्यरत पद संख्या (18–19)	वर्ष 2017 में विषयवार छात्रों की कुल संख्या	वर्ष 2018 में विषयवार छात्रों की कुल संख्या	वर्ष 2019 में विषयवार छात्रों की कुल संख्या
1	हिन्दी	1	1	1	1	1526	1257	1110
2	अँग्रेजी	2	0	0	0	1026	970	904
3	संस्कृत	1	1	1	0	35	30	29
4	भूगोल	1	0	0	0	397	341	315
5	इतिहास	1	1	1	1	329	372	449
6	अर्थशास्त्र	1	0	0	0	208	156	196
7	राजनीति शास्त्र	2	0	0	0	253	700	455
8	समाज शास्त्र	2	1	1	1	1523	1285	957
9	गणित	2	2	2	2	148	111	73
10	भौतिक वि0	1	0	1	1	121	88	81
11	रसायन वि0	1	1	0	0	243	179	165
12	वन0वि0	1	1	1	1	168	138	142
13	जन्तु वि0	2	1	1	1	187	144	151

Scanned by CamScanner

14	प्रवक्ता–वाणिज्य	3	2	2	2	591	541	456
15	शारीरिक शिक्षा	1	1	1	1	0	0	53
	योग	22	12	12	11	6755	6312	5536

उपरोक्त विवरण के अनुसार महाविद्यालय की स्नातक /स्नातकोत्तर कक्षाओं में विज्ञान सकांय से सम्बन्धित रसायन विज्ञान में छात्र अध्ययनरत थे, परन्तु उक्त विषय का कोई भी प्रवक्ता नियुक्त नहीं था। इसी प्रकार कला संकाय से सम्बन्धित अंग्रजी,भुगोल,अर्थशास्त्र राजनिति शास्त्र में उक्त विवरण के अनुसार वर्ष छात्र अध्यनरत है किन्तु विगत वर्षो से को प्रवक्ता नियुक्त नही है तथा शारीरिक शिक्षा मे वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 मे छात्र नही थें जिससे उनके वेतन पर व्यय धनराशि अलागकारी प्रतीत हो रही है। प्रवक्ताओ के कमी के कारण विषयवार शैक्षणिक कार्य एवं प्रयोगशालाये करा पाना संम्भव नही है जिससे छात्र/छात्राओं को समुचित शिक्षा प्राप्त नही हो रही है।

उक्त के संम्बन्ध मे इकाई से पृच्छा किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे कहा गया कि रिक्त विषयो के प्रवक्ता नही रहने के कारण अध्ययन कार्य प्रभावित रहता है।

उत्तर स्पष्ट है क्योकि जब उस विषय के प्रवक्ता ही नही है तो विषयवार शैक्षणिक कार्य एवं प्रयोगिक कक्षाओ कैसे प्राप्त होगी। इस प्रकार छात्रो को समुचित शिक्षा से वंचित हो किया जा रहा है।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है।

Scanned by CamScanner

भाग–2(ब)

प्रस्तर–3 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव।

1. डा0 शिव ओम शर्मा एवं श्री हेमन्त कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर के सेवा पुस्तिका में वेतन वृद्धि के समय कालम–8 में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं तथा सेवा/मृत्यु उपादान, सामूहिक बीमा, पेंशन इत्यादि हेतु नामांकन प्रपत्र नहीं भरे गये हैं। श्रीमती नीलिमा सिंह एवं श्रीमती वन्दना राठौर असिस्टेन्ट प्रोफेसर को सेवा पुस्तिका में बायोडाटा का 5 वर्षों के उपरान्त पुनः सक्षम अधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। सेवा/मृत्यु उपादान, सामूहिक बीमा, पेंशन इत्यादि हेतु नामांकन प्रपत्र नहीं भरे गये हैं। साथ ही वेतनवृद्धि के समय कालम 8 में हस्ताक्षर भी नहीं कराये गये हैं।

2. श्री इन्द्रभूषण महापात्र एसोसिएट प्रोफेसर एवं डा0 अब्दुल लतीफ असिस्टेन्ट प्रोफेसर की सेवा पुस्तिका में बायोडाटा का 5 वर्षों के उपरान्त पुनः सक्षम अधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। वेतनवृद्धि के समय कालम 8 में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। डा0 लतीफ के सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि शब्दों में नहीं लिखी गई है।

3. वर्ष 2017–18 में लघु निर्माण, मशीन साज–सज्जा एवं अनुरक्षण मद में क्रमशः 1.00 लाख, रू0 2.00 लाख तथा रू0 5.00 लाख कुल रू0 8.00 लाख धनराशि माह फरवरी 2018 में प्राप्त हुई थी परन्तु शिथिलतापूर्वक ढंग से कार्य किए जाने के कारण धनराशि व्यय नहीं की गई तथा धनराशि का समर्पण करना पड़ा।

महाविद्यालय के हित एवं विकास के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपभोग न किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता।

canned by CamScanner

4. नमूना माह 2/2019 एवं 12/2017 रोकड़ बही,11–सी,बिल बाउचर,वेतन बिल एवं कोषागार रामाधान विवरण मे कोई लिंक (सन्दर्भित) नही किया गया था जिसारो अभिलेखो के मिलान मे कठिनाइयो का सामना करना पडता है।

लेखा परीक्षा को अनुपालन किये जाने तक आपेक्षित रहेगा।

5. इकाई द्वारा मशीन साज–सज्जा मे वर्ष 2017–18 मे आंवटित धनराशि रू 2.00 व्यय न कर समर्पण किये जाने के कारण छात्रो को लाभ से वंचित किया गया जो इकाई की उदाशीनता दर्शाता है।

6. विभागीय आन्तरिक प्रबन्धन के कमी के कारण आन्तरिक लेखा परीक्षा नही कराये जाने से विभागीय कमियो को दूर करने मे कठिनाईयो का सामना करना पडता है।

7 **विद्युत बिलों का लम्बित भुगतान रू0 2.50 लाख।**

वित्तीय नियमों क अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के व्ययों का भुगतान उसी वर्ष में किया जाना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में देयता का सृजन नहीं किया जाना चाहिए।

राजकीय महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला रामपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सम्प्रेक्षा अवधि वर्ष 2009–10 से 2019–20 तक में मानक मद 09 विद्युत देय में मात्र 05 वर्षों में (2011–12, 2012–13, 2013–14, 2017–18 एवं 2018–19) धनावंटन किया गया परिणामस्वरूप महाविद्यालय पर निरन्तर विद्युत बिलों का भुगतान बकाया रहा। वर्ष 2019–20 में धनावंटन शून्य था।

सम्प्रेक्षा द्वारा विद्युत बिलों की देयता के बिन्दु पर इंगित करने पर उत्तर दिया गया कि बजट की निरन्तर मांग की जाती है परन्तु प्रति वर्ष बजट नहीं मिल पाया।

उत्तर से स्पष्ट था कि वित्तीय नियमों की अवहेलना की जा रही थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

08 **विगत कई वर्षो से छात्रनिधि की धनराशि रू 2.48 लाख छात्रो के कल्याण कारी किया कलापो पर व्यय न कर अवरूध्द रखा जाना।**

नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा छात्र– छात्राओं से प्रत्येक वर्ष ली जाने वाली फीस मे से निर्धारित मात्रा में धनराशियॉ विभिन्न छात्र निधियों में जमा की जाती है, जिन्हे छात्रो के कल्याणकारी कार्यो पर नियमानुसार व्यय किया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

छात्रो से प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत है--

क्र0 सं0	छात्र निधि का नाम	अवशेष धनराशि (31.03.2018 तक)	अवशेष धनराशि (31. 08.2018 तक)	अवशेष धनराशि अद्यतन (19–20 तक)
1	क्रीड़ा	232200	232200	15806
2	वाचनालय	58050	58050	7608
3	पत्रिका	185760	185760	4440
4	परिचय पत्र	46440	46440	1207
5	निर्धन छात्र सहायता	58050	58050	52106
6	पर्यावरण	161100	161100	11056
7	रोवर/रेंजर्स	69660	69660	4434
8	परिषद	161100	161100	3313
9	विद्युत	227700	227700	42251
10	परिषद	0	0	106049
	कुल योग	1200060	1200060	248270

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर,रामपुर के छात्र निधि सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विगत कई वर्षो से अधिक समय से छात्र निधियों में धनराशियॉ अवरूद्ध पड़ी है तथा उन्हें छात्रो के किया कलापो पर व्यय नही किया जा रहा है, जिससे छात्रो से ली गयी फीस का लाभ जिस उद्देश्य हेतु ली गयी थी, उन्हे नही मिल पा रहा है। व्यय हेतु किसी समिति का गठन भी नही किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध मे इकाई से पृच्छा किये जाने पर इकाई द्वारा ऑकडो एवं तथ्यो की पुष्टि करते हुए उत्तर मे कहा गया कि आवश्यकता अनुसार व्यय किया गया।

उत्तर से मान्य नही है क्योकि वर्ष वार उस उद्देश्यो पर व्यय किया जाना चाहिए था। इकाई द्वारा छात्रो के कल्याण कारी किया कलापो पर धनराशि रू 2.49 लाख व्यय न कर अवरूध्द रखकर लाभ से वंचित किया गया ।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है।

लेखा परीक्षा को अनुपालन किये जाने तक आपेक्षित रहेगा।

Scanned by CamScanner

भाग तीन– पिछली रिपोर्ट से लम्बित निष्कर्षों पर की गई कार्यवाही

पिछली निरीक्षण रिपोर्टों से लम्बित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के निपटान की प्रगति –

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	प्रस्तर संख्या भाग–2(अ)	प्रस्तर संख्या भाग–2(ब)	निस्तारित प्रस्तर का विवरण	प्रस्तर अनिस्तारित रहने का कारण
--	–	–	–	–	–

भाग चार– उत्तम पद्धतियां

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यदि कोई अच्छी पद्धति या नवरचना देखी जाए तो उसका वर्णन

क0 सं0	इकाई मे उत्तम पद्धति का प्रकार	विवरण
No any significant issues were found in the auditee unit which mentioned in Part-IV		

भाग पांच– आभार

लेखापरीक्षा मे मांगे गए अभिलेखो को प्रदान करने सहित सभी मामलो मे लेखापरीक्षा इकाईयों के सहयोग का आभार व्यक्त करना, लेखापरीक्षा इकाईयों मे नेतृत्व पद धारण करने वाले व्यक्तियो का वर्णन –

क0 सं0	अप्रस्तुत अभिलेख का विवरण	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये सुविधाओ का प्रकार	लेखापरीक्षा अवधि मे नेतृत्व प्रदत्त करने वाले अधिकारियो पदनाम एवं कार्यावधि
1	वर्ष 2016–17 से पहले के डी0डी0ओ0 शीट एवं समस्त अभिलेख।	Staff of the auditee unit was familiar for audit and fully co-operation was provided for producing records and reply -	डॉ0 विजय सिंह राघव 20.09.2009 से 14.07.12 डॉ0 अलवेले सिंह यादव 15.07.12 से 31.07.13 डॉ0 ए0पी0सक्सेना 01.08.13 से 31.03 16 डॉ0 सतीश चन्द्र कुमार 01.04.16 से 10.05.16 डॉ0एम0 ए0 गौरी 26.08.17 से 20.06.19 डॉ0 आई0 वी0 महापात्र 21.06.19 से 03.07.19 डॉ0 आर0 पी0 यादव 04.07.19 से अद्यतन तक

20/11/20

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी
एस.एस.–II/ई0–I

20/01/2020

Scanned by CamScanner